सं.एस-18/10/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रभाग

चौथी मंजिल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कांपलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 20 जुलाई, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रधान सचिव

विषय: शौचालयों के लिए जल की उपलब्धता से संबंधित स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है, नए कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने परिणामों की गुणवत्ता पर ध्यान देते समय ग्रामीण स्वच्छता में तेजी लाने के लिए कुछ नए परिवर्तन किए हैं। शुरू किए गए इन परिवर्तनों में वयैक्तिक शौचालय के लिए प्रोत्साहन की राशि रू. 10,000/- से बढ़ाकर रू. 12,000/- कर दी है। यह वृद्धि इस बात को ध्यान में रख कर की गई है कि साफ सफाई एक महत्वपूर्ण घटक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फिको-औरल ट्रांसमिशन से बचने के लिए शौच के बाद हाथ की धुलाई को बढ़ावा देना अनिवार्य है। अत: यह इच्छा व्यक्त की गई है कि जल संचयन, हाथ धोने और शौचालयों की सफाई के लिए सुविधा, यदि पहले से नहीं है, तो शौचालय का निर्माण करने के साथ-साथ उसे भी उपलब्ध कराया जाए/मजबूत किया जाए। उपरोक्त प्रावधान का सार यह है कि शौच करने, शौचालय की सफाई और उस के बाद हाथ धोने के लिए जल उपलब्ध होना चाहिए।

2. तथापि , हम इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते कि स्वच्छता व्यवहार से संबंधित और मांग-चालित मुद्दा है, जहाँ लोगों को मल-मूत्र के सुरक्षित निपटान के लिए उनके अपने शौचालयों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस व्यावहारिक परिवर्तन में शुचिता के लिए व्यवहार शामिल है। जब कोई परिवार शौचालय बनवाता है तो वह उसके लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। अनेक परिवारों के पास अपने घर में या निकटवर्ती स्थानों पर पानी का प्रावधान पहले से ही हो सकता है और यह पर्याप्त होगा यदि वह व्यक्ति उसका शौचालय के लिए उपयोग करे। इस प्रकार की स्थिति में शौचालय के निर्माण के

साथ जरूरी टैंक या वाश-बेसिन जैसी अलग से जल संचयन सुविधा के लिए निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। विशिष्ट ढाँचा निर्धारित करने से आपूर्ति-चालित सोच बनती है और हो सकता है कि व्यक्ति उसका उपयोग न करे, जिससे बेकार का खर्च होगा।

3. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ शौचालय के लिए पानी की उपलब्धता की आवश्यकता पर बल देना जरूरी है, उसका ढांचा लाभभोगी/समुदाय पर छोड़ दिया जाए। इसे स्पष्टीकरण के लिए सभी जिलों की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण)
दूरभाष सं0 24362705

प्रतिलिपि:-

1. राज्य समन्वयक- एसबीएम(जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
2. तकनीकी निदेशक (एनआईसी)- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए